2023/974

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– गुलाब सिंह वर्मा (आरएएस)

प्रार्थना पत्र संख्या :–165/2023 निर्णय दिनांक :– 13/12/2023

उनवान

ग्रामवासी आनन्दपुरा बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत् ग्राम आनन्दपुरा के हाल खसरा नंबर 261 व 262 की भूमि किस्म गैर मुमकिन के स्थान पर गै0मु0 आबादी दुरूस्त करने।

प्रार्थना पत्र ग्राम वासी ग्राम आनन्दपुरा के द्वारा प्रशासन गांवों के प्रशासन गावों के संग अभियान में 30.05.2023 को ग्राम आनन्दपुरा के वर्तमान खसरा नंबर 261 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 262 रकबा 0.18 है0 किस्म गै0मु0 को आबादी में परिवर्तन करने बाबत् पेश करने पर तहसीलदार कोटखावदा को वास्ते जॉच कर रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु लिखे जाने पर तहसीलदार कोटखावदा ने शिविर प्रभारी की आदेश की पालना में जॉच रिपोर्ट इस कमांक/भू.अ/2023/2674 दिनांक 06.12.2023 को जॉच रिपोर्ट इस प्रकार भिजवाई गयी कि ग्रामवासी ग्राम आनन्दपुरा बाबत ग्राम आनन्दपुरा के हाल खसरा नम्बर 261 व 262 की भूमि किस्म गैर मुमकिन के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दुरूस्ती करवाने हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प गरूडवासी से पेश हुआ । प्रकरण मे पटवारी हल्का मण्डालिया मैदा व उपतहसीलदार देहलाला से जाच रिपोर्ट ली गई जो निम्न प्रकार है ग्राम आनन्दपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2038 से

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

2041 के खाता संख्या 52 के अनुसार चरागाह भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा मे से जरिये नामान्तकरण संख्या 64/13.11.1984 से 2 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज की जाकर नामान्तकरण संख्या 69/13.11.1984 द्वारा खसरा नम्बर 169/2 रकबा 2 बीघा भूमि सिवायचक से गैर मुमकिन आबादी में सम्परिवर्तन की गई जिसका जमाबन्दी में अमल दरामद हो चुका तथा एकीकरण नक्शा लठठा पर उक्त आवंटित भूमि की तरमीम भी दर्ज हो चुकी। भू–प्रबन्ध सम्वत 2051 से 2070 मे उक्त आवंटित भूमि के मुताबिक साबिक व हाल नक्शा शीट अनुसार नये खसरा नम्बर 231, 247, 248, 259, 260, 261, 262 व 258/730 कुल किता 8 रकबा 0.50 है. दर्ज हुये जबकि मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 169/2 के नये खसरा नम्बर 231, 247, 248, 261, 262 व 258/730 ही दर्शाये गये है। इसमें कुल रकबा 0.40 है, ही बनता है। व खसरा नम्बर 259 व 260 नक्शा सीट अनुसार शामिल करने पर कुल रकबा 0.50 है. बनता है, जो सही है। मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051 से 2070 के खसरा नम्बर 231, 247, 248, 259, 260 की भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी सही दर्ज है तथा खसरा नम्बर 261, 262 व 258/730 की भूमि किस्म केवल मात्र गैर मुमकिन ही दर्ज है। जबकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि किस्म भी गैर मुमकिन आबादी दर्ज होनी चाहिए थी। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार हाल खसरा नम्बर 261, 262 व 258/730 के मौके पर वर्तमान मे आबादी बसी हुयी है। जिसमें पुख्ता मकानात बने हुये है। अतः मुताबिक साबित रिकार्ड, हाल रिकार्ड व रिपोर्ट पटवारी हल्का व उप तहसीलदार देहालाला की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम आनन्दपुरा के हाल खसरा नम्बर 261, 262,

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

258/730 की भूमि किस्म गैर मुमकिन के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है

जवाब सरकार प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र व प्रार्थना के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वंत 2038–41, नक्शा ट्रेस, नामा0 संख्या 69 मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया तो नामान्तकरण संख्या 69 ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नंबर 169/2 रकबा 2 बीघा गै0मु0 आबादी दर्ज है जो सैटलमेन्ट खसरा नंबर 169/2 रकबा 2 बीघा गै0मु0 आबादी के रकबा बरारी के अनुसार खसरा नंबर 231 रकबा 0.03 है0, 247 रकबा 0.06 है0, 248 रकबा 0.05 है0, 261 रकबा 0.04 है0, 262 रकबा 0.18 है0, 258/730 रकबा 0.06 है0 बनाये गये, उक्त खसरान नम्बरान के खसरा नंबर 231, 247, 848 में तो किस्म गै0मु आबादी दर्ज करदी गयी, किन्तु खसरा नंबर 258/731 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 261 रकबा 0.04 है0 , 262 रकबा 0.18 है0 मे केवल किस्म गै0मु0 ही अंकित कर दी लिपिकीय भूल से गै0मु0 के आगे आबादी शब्द लिखने से रह गया जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नंबर पर वर्तमान में आबादी शब्द लिखने से रह गया जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान पर वर्तमान में आबादी बसी हुई है। जिसमें प्रान्ता मकानात बने हुये , इस प्रकार उक्त ग्रामवासी ग्राम आनन्दपुरा का प्रार्थना पत्र तहसीलदार की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान मे गै0मु0 के आगे गै0मु0 आबादी लिखा जाना व किस्म आबादी लिखा जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आनन्दपुरा तहसील कोटखावदा के खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

261 रकबा 0.04 है0, 262 रकबा 0.18 है0, कि किसम गै0मु0 के बजाय गै0 मु0 आबादी दर्ज व शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है, इसी प्रकार खसरा नंबर 261 रकबा 0.04 है, 262 रकबा 0.18 है0 गै0 मु0 आबादी दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)